भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 282

दिनांक 09 **अगस्त**, 2021

पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उत्पादन

*282. **श्रीसुब्रत पाठक**:

श्री श्रीरंगआप्पाबारणे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 विशेषरूप से लॉकडाउन की अवधियों के दौरान पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू उत्पादन से पूरी की गई विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु भारतीय तेल कंम्पनियों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने में ये कंम्पनियां किस हद तक सफल रही हैं;

(ङ) सरकार द्वारा निकट भविष्य में देश में पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने हेतु भारतीय तेल कंम्पनियों को पूरी तरह तैयार किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए; और

(च) तेल शोधनशालाओं को युद्ध, प्राकृतिक आपदा तथा आतंक की घटना से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री हरदीप सिंह पुरी**)

(**क**) **से** (**च**): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उत्पादन" के संबंध में संसद सदस्य श्रीसुब्रत पाठक और श्री श्रीरंगआप्पाबारणे द्वारा पूछे गए दिनांक 09.08.2021 **के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या** 282 **के भाग (क) और (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): वर्ष 2019-20 और 2020-21 (अनंतिम) के दौरान पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, जिसमें लॉकडाऊन अवधि के दौरान की मांग शामिल है, से संबंधित ब्यौरे, अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ख): वर्ष 2019-20 और 2020-21 (अनंतिम) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन)
2019-20	43.8
2020-21 (अनंतिम)	43.5
स्रोत: पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ(पीपीएसी)	

(ग): विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग 15% घरेलू मांग को घरेलू स्रोतों से पूरा किया जाता है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

		2019-20	2020-21 (अं)
1	घरेलू खपत/मांग (एमएमटी)	214	195
2	स्वदेशी कच्चा तेल प्रसंस्करण (एमएमटी)	29	28
3	स्वेदेशी क्रूड से संबंधित उत्पाद (एमएमटी) (बी x0.93)	27	26
4	प्रभाजकों से संबंधित उत्पाद (एमएमटी)	5	4
5	कुल स्वदेशी उत्पादन (एमएमटी)	32	30
6	आत्म निर्भरता (%) (ई/ए)*100	15.0	15.6
स्रोत: पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)			

(घ) और (ड.): वर्तमान में देश शोधन क्षमता में आत्मनिर्भर है। भारतीय रिफायनरियां पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की भावी मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि 249.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) की शोधन क्षमता प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की 214 एमएमटी की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, तेल का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई नीतियां बनाई हैं और कई प्रकार की कार्रवाइयां की हैं। ब्यौरे अनुलग्नक- II में दिए गए हैं।

(च): आसूचना ब्यूरा (आईबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सभी रिफाइनरियों को महत्वपूर्ण लोकेशनों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा और आतंकवादी धमकियों जैसी परिस्थितियों में इन महत्वपूर्ण संस्थापनाओं को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक-I

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

अवधि : अप्रैल 2019-मार्च 2020													
उत्पाद	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अग**	**सित**	**अक्त**	**नव**	**दिस**	**जन**	**फर**	**मार्च**	**योग**
एलपीजी	1.9	2.1	1.8	2.2	2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.1	2.3	26.3
नाफ्था	1.0	0.8	1.0	1.5	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	14.3
एमएस	2.5	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	30.0
एटीएफ	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	8.0
मि ी तेल	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.4
एचएसडी	7.3	7.8	7.5	6.8	6.1	5.8	6.5	7.6	7.4	7.0	7.2	5.7	82.6
स्नेहक व ग्रीसें	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	3.8
एफओ व एलएसएचएस	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	6.3
बिटुमिन	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	6.7
पेट्रोलियम कोक	2.3	2.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	2.0	1.9	1.6	1.6	21.7
अन्य	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	12.0
योग	18.3	19.2	17.7	18.0	17.1	16.2	17.3	18.5	18.9	18.7	18.1	15.9	214.1

अवधि : अप्रैल 2020-मार्च 2021 (अ.)													
उत्पाद	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अग**	**सित**	**अक्त**	**नव**	**दिस**	**जन**	**फर**	**मार्च**	**योग**
एलपीजी	2.1	2.3	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	2.3	27.6
नाफ्था	0.8	1.0	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	14.3
एमएस	1.0	1.8	2.3	2.3	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.7	28.0
एटीएफ	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	3.7
मि ी तेल	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8
एचएसडी	3.3	5.5	6.3	5.5	4.8	5.5	7.0	7.0	7.2	6.8	6.6	7.2	72.7
स्नेहक व ग्रीसें	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	3.5
एफओ व एलएसएचएस	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	6.0
बिटुमिन	0.2	0.6	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	7.1
पेट्रोलियम कोक	0.8	2.5	1.4	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	18.3
अन्य	0.6	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	11.7
योग	9.4	15.3	16.1	15.6	14.4	15.5	17.8	17.9	18.6	18.0	17.3	18.8	194.6

(अ.):अनंतिम

अनुलग्नक-II

1) हाइ ोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लिए नीति, 2014

2) खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

3) हाइ ोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

4) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाने के लिए नीति, 2016 और 2017

5) कोल बैड मिथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए नीति, 2017

6) नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017

7) तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

8) हाइ ोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन।

9) एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

10) तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नीति, 2018

11) मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, कोल बेड मिथेन संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा, 2018

12) गहरे समुद्र और अत्यधिक गहरे समुद्र तथा उच्च दबाव-उच्च तापमान (एचपी-एचटी) रिज़वार्यरों (सीमा सहित) से प्राकृतिक गैस उत्पादन, हाई ोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत प्रदान किए गए सीबीएम ब्लॉकों से उत्पादित गैस, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (डीएसएफ) नीति, 01 जुलाई, 2018 को अथवा इसके बाद पूर्वो तर क्षेत्र (एनईआर) से उत्पादित वाणि ियक गैस तथा उन नई गैस खोजों के लिए भी विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता को मंजूरी दे दी है जिनकी क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) को फरवरी, 2019 में अनुमोदित किया गया है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) क्षेत्रों से होने वाले अतिरिक्त गैस

उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सामान्य परि श्य के तहत किए जाने वाले कारोबार से अधिक होने वाले गैस उत्पादन पर लागू रायल्टी की दर से 10% कम रॉयल्टी मंजूर की गई है।

13) इसके अलावा, सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित किया है।

14) नीतिगत सुधारों का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के श्रेणी II और III के तलछटीय बेसिनों के संबंध में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली, इसके अलावा, राजकोषीय और संविदागत शर्तों को सरल बनाना, राजकोषीय प्रोत्साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना, विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी सहित गैस उत्पादन को बढ़ावा देने की परिक पना की गई है। इस नीति में नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों के लिए सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय तेल कंम नियों को काम करने की और ज्यादा आजादी भी दी गई है। इलैक्ट्रिानिक सिंगल विंडो व्यवस्था सहित कारोबार में आसानी बढ़ाने और अनुमोदन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना भी नीतिगत सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

15) गैस आधारित अर्थ यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों को मंजूर किया गया है जिनमें एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस का बाजार मूल्य निर्धारित करने की मानक प्रक्रिया विनिर्धारित की गई है, सहायक कंम नियों को गैस की बिक्री के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है तथा ऐसी कुछ क्षेत्र विकास योजनाओं को विपणन की आजादी दी जाती है जहां ऐसी उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं की गई हैं जिन्हें पहले से ही मूल्य निर्धारण आजादी प्राप्त है।

****